VPSEC/R/P/20/00064

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

सत्यमेव जयते

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/31/2020-21

15 सितंबर, 2020

सेवा में,

श्री पी. के. पाण्डेय
अनु सचिव एवं जनसूचना अधिकारी,
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय, लखनऊ।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्री राकेश कुमार यादव पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद यादव निवासी ग्राम कटरा, पोस्ट-चरदा जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश का 26.08.2020 का पत्र इस सचिवालय में 01.09.2020 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने दस रूपये का पो.आ. सं. 52F 928081 संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत इस सचिवालय को पूर्व प्रेषित अपने पत्र जिसे श्रीयुत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को उचित कार्रवाई/ध्यानाकर्षण हेतु अग्रसारित कर दिया गया था, पर की गई कार्रवाई की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है। चूंकि इनके द्वारा मांगी गई सूचना की विषय-वस्तु उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है, अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि पत्र की विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री राकेश कुमार यादव पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद यादव ग्राम कटरा, पोस्ट-चरदा जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश - कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त जनसूचना अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

SPEED POST
19/9/20

सेवा में,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी महोदय
उपराष्ट्रपति कार्यालय - - -
भारत सरकार

RTI No. 31

Vice President's ... New Delhi
Dy. No. 10...
Date 1/9/20

विषय :→ जन सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्रदान करने के सम्बन्ध मे।

महोदय, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र आपके कार्यालय को 4-जुलाई-2020 - - - को प्रेसित किया था जिसके बारे में निम्न सूचना चाहता है।

① प्रार्थना पत्र आपको कब प्राप्त हुआ।

② प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही हुई।

③ जब तक कार्य है, तब तक पद पर रखा जाये और कार्य समाप्त होने पर, पद से बिना मानदेय हटा दिया जाये, क्या यह बेगारी प्रथा में आता है।

④ नई शिक्षा नीति 2020 मे साक्षरता कर्मियों को क्या स्थान मिला है।

⑤ प्रार्थी एक विकलाँग शिक्षा प्रेरक है, प्रार्थी के सामने आगे कुआँ पीछे खाँई की स्थिति है। अब प्रार्थी क्या करे, प्रार्थी कहाँ जाये - 10 वर्ष प्रार्थी ने प्रेरक मे गुजारा है।

P. T. O.

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX.: 23018124

सत्यमेव जयते

फाइल संख्या वीपीएस 25/08/2020(P) 25 अगस्त, 2020

श्रीयुत मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सचिवालय,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।

प्रिय महोदय,

श्री राकेश कुमार यादव,पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद यादव, गांव-कटरा, पोस्ट-चरदा, जिला-बहराइच, उत्तर प्रदेश का दिनांक 03.06.2020 का पत्र इस सचिवालय में 19.06.2020 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी ने बकाया मानदेय व अकारण हटाये जाने के संबंध में उल्लेख किया है। अत: पूर्ण विवरण युक्त इनका पत्र उचित ध्यानाकर्षण हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा हैं।

धन्यवाद,

भवदीय,

/

(हुरबी शकील)

प्रति सूचनार्थ -
श्री राकेश कुमार यादव,पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद यादव, गांव-कटरा, पोस्ट-चरदा, जिला-बहराइच, उत्तर प्रदेश का है।

कृपया पत्र के संदर्भ में श्रीयुत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से संपर्क करें।

हुरबी शकील
(हुरबी शकील)

आर टी आई अधिनियम के तहत आपूर्ति किए गए दस्तावेज/रिकार्ड की सच्ची प्रति

हुरबी शकील
15/9/2020
हुरबी शकील/Hurbi Shakeel
अवर सचिव/Under Secretary
उपराष्ट्रपति सचिवालय/Vice-President's Secretariat
नई दिल्ली/New Delhi